भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 2411

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (19 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों और एयरलाइनों का क्रॉस-स्वामित्व

2411. डा. जॉन ब्रिटासः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बड़े विमानपत्तनों के प्रचालकों को अनुसूचित विमान सेवा कंपनियों में इक्विटी रखने अथवा उन्हें संचालित करने से प्रतिबंधित करने वाली विद्यमान नीति में किसी संशोधन अथवा छूट पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विमानपत्तन प्रचालकों अथवा अन्य हितधारकों से ऐसी छूट की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धा, हितों के टकराव, स्लॉट आवंटन, विमानपत्तन प्रभारों, ग्राउंड हैंडलिंग तथा प्रतिस्पर्धी विमान सेवा कंपनियों के लिए विमानपत्तन अवसंरचना तक निष्पक्ष पहुंच पर ऐसे क्रॉस- स्वामित्व के प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) क्या इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से राय ली गई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): प्रमुख हवाईअड्डा प्रचालकों को अनुसूचित एयरलाइनों में पर्याप्त इक्विटी रखने या उन्हें संचालित करने से प्रतिबंधित करने वाली कोई सरकारी नीति विद्यमान नहीं है। तथापि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कुछ हवाईअड्डों से संबंधित मौजूदा संविदात्मक समझौतों में रियायतग्राहियों की इक्विटी भागीदारी को बनाए रखने के लिए अनुसूचित एयरलाइनों और उनके समूह निकायों/संबंधित कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध हैं।

(ग) से (च): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को संगत समझौता प्रावधान में छूट हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच अभी नहीं की गई है।
